रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022020-216413 CG-DL-E-26022020-216413

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2020/माघ 28, 1941 No. 678| NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2020/MAGHA 28, 1941

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2020

का.आ. 743(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा असम राज्य में निम्नलिखित खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

क्रम	खण्ड	सेक्शन	प्रकाशित अधिसूचना जिसके
सं.			द्वारा सौंपा गया
1	रारा-37 का 146.000 किमी से	गुवाहाटी बाईपास सेक्शन	का.आ. 1192(अ) दिनांक
	156.500 किमी		03.12.2001
2	रारा-37 का 156.500 किमी से	गुवाहाटी बाईपास सेक्शन	का.आ. 196(अ) दिनांक
	164.395 किमी		06.03.2000
3	रारा-37 का 164.395 किमी से	नगांव से गुवाहाटी सेक्शन	का.आ. 465(अ) दिनांक
	274.000 किमी	(गुवाहाटी बाईपास सहित)	26.04.2002

965 GI/2020 (1)

4	रारा-31 का 96	63.000	किमी	से	गुवाहाटी से नलबाड़ी बिजनी	का.आ. 465(अ)	दिनांक
	1126.000 किमी	-			सेक्शन	26.04.2002	
5	<b>रारा-36</b> का (	0.000	किमी	से	दबोका से नगांव		
	38.000 किमी						
6	<b>रारा-54</b> का (	0.000	किमी	से	सिल्चर से हॉफ्लोंग से लंका से		
	83.400 किमी				दबोका सेक्शन		

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2041 (अ), तारीख 24 जुलाई, 2015 का अधिक्रमण करते हुए असम राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नया रारा-27) के 1040.300 कि.मी. से 1124.514 कि.मी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (नया रारा-27) के 146.000 कि.मी. से 205.000 कि.मी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 (नया रारा-27) के 0.321 कि.मी से 5.500 कि.मी. से 37.894 कि.मी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 (नया रारा-27) के 0.321 कि.मी से 5.500 कि.मी. से 37.894 कि.मी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (नया रारा-27) के 0.000 कि.मी. से 83.400 कि.मी तक नलबाड़ी-बिजनी-गुवाहाटी-नगांव-लंका-हाथीकली सेक्शन के चार लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 281.4345 कि.मी. और 55.425 कि.मी (जिनकी लबाई 5.5425 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% की दर और 45.699 किमी की लंबाई वाले बाईपासों पर प्रत्येक दस करोड़ या उससे अधिक के लिए नीचे सारिणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर 150% की आधार दर से शुल्क उदग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकत करती है, अर्थात:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति
	कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर	3.45
(ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले )	4.20

1. नीचे उदग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

1111113 112 113 114 114 114 114 114 114 114 114 114							
	सारणी <b>-2</b>						
क्रम ·	शुल्क प्लाजा का अवस्थान	सेक्शन का चेनेज	लम्बाई (किलोमीटर में)	दर जिस			
सं .	(चेनेज)		जिसके लिए शुल्क संदेय है	पर शुल्क संदेय है			
1	कामरूप जिले में मदनपुर गांव	रारा – 31 के (नलबाड़ी-	76.7820 किमी [1.5600	चार या			
'	के निकट रारा -31 (एफपी-1)	बिजनी से गुवाहाटी)	-	अधिक लेन			
	के 1104.624 (डिज़ाइन चेनेज)	1040.300 किमी से	किमी के बाइपास और 60	के लिए			
	किमी पर		मी. से अधिक 1.1720 किमी	ऊपर			

		1119.814 किमी तक	लंबाई की संरचना को	सारणी-1
			छोड़कर]	में
2	कामरूप (म) जिले में नज़ीराखट गांव के निकट रारा -37 (एफपी-2) के 179.600 किमी पर	रारा - 31 के (नलबाड़ी - बिजनी से गुवाहाटी) 1119.814 किमी से 1124.514 किमी तक और रारा - 37 के (गुवाहाटी से नगांव सेक्शन गुवाहाटी बाईपास सहित) 146.000 किमी से 205.000 किमी तक	43.4479 किमी [17.895 किमी के बाइपास और 60 मी. से अधिक 2.3571 किमी लंबाई की संरचना को छोड़कर]	उल्लिखित आधार दरों का 100%
3	नगांव जिले (एफपी-3) में राहा (सारागांव) शहर के निकट रारा -27 (नया)/ रारा- 37 (पुराना) के 254.514 किमी पर	रारा – 37 के 205.00 किमी से 273.489 किमी तक	57.1318 किमी [10.644 किमी के बाइपास और बाईपास पर 60 मी. से अधिक 0.120 किमी लंबाई की संरचना को छोड़कर और सड़क लंबाई पर 60 मी. से अधिक 0.5932 किमी लंबाई [की संरचना को छोड़कर	
4	होजाई जिले (एफपी-4) में मिकीरती होगांव गांव के निकट रारा -27 (नया)/ रारा- 36 (पुराना) के 33.625 किमी पर	रारा - 36 के 0.321 किमी से 5.500 किमी तक और रारा - 36 के 5.500 किमी से 37.894 किमी तक, रारा - 54 के 0.00 किमी से 22.00 किमी तक	49.9628 किमी [9.44 किमी के बाइपास और बाईपास पर 60 मी. से अधिक 0.1702 किमी लंबाई की संरचना को छोड़कर]	
5	दीमा हसाओ जिले (एफपी-5) में मंदरदिसा गांव के निकट रारा -27 (नया)/ रारा- 54 (पुराना) के 62.400 किमी पर	रारा – 54 के 22.00 किमी से 83.400 किमी तक	54.11 किमी [6.16 किमी के बाइपास और बाइपास पर 60 मी. से अधिक 0.140 किमी लंबाई की संरचना को छोड़कर और सड़क लंबाई पर 60 मी. से अधिक 0.99 किमी लंबाई की संरचना को छोड़कर]	
	कुल योग		281.4345	

<sup>2.</sup> उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

			सारणी – 3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम		इन चेनेज	बाइपास की लम्बाई जिसके लिए अतिरिक्त है		
		आरंभ होते हुए	मिलते हुए	~		
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रूपए में)	
कामरूप जिले में मदनपुर गांव के निकट रारा -31 (एफपी-1) के 1104.624 (डिज़ाइन चेनेज) किमी पर	बैहथा	1099.254 किमी	1100.814 किमी	1.560	24.586	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का
कामरूप (म) जिले में नज़ीराखट गांव के निकट रारा -37 (एफपी-2) के 179.600 किमी पर	गुवाहाटी	146. 000 किमी	163.किमी 895	17. 895	185. 14	150%
नगांव जिले (एफपी- 3) में राहा (सारागांव) शहर के निकट रारा -27 (नया)/ रारा- 37 (पुराना) के 254.514 किमी पर	रारा-37 का नगांव (पुराना)/ रारा-27 (नया)	262. 725 किमी	273.किमी 489	10.644 (0.120 किमी लंबाई की संरचना को छोड़कर जो 10.764 किमी के ऐसे बाइपास के अंतर्गत आती है)	186.281 (नगांव बाईपास के भाग के लिए अर्थात राहा टोल प्लाजा के अंतर्गत)	
होजाई जिले (एफपी-4) में मिकीरती होगांव गांव के निकट रारा -27 (नया)/ रारा- 36 (पुराना) के 33.625 किमी पर	रारा-36 का नगांव (पुराना)/ रारा-27 (नया)	0. किमी 321	5. किमी 500	5.082 (0.097 किमी लंबाई की संरचना को छोड़कर जो 5.179 किमी के ऐसे बाइपास के अंतर्गत आती है)	89.627 (नगांव बाईपास के भाग के लिए अर्थात दबोका टोल प्लाजा के अंतर्गत)	
	दबोका	रारा-36 (पुराना)/ रारा-27 (नया) का 35.862 किमी और रारा-54 का 0.000 किमी	रारा-36 (पुराना)/ रारा- 27 (नया) का 37.894 किमी और रारा-54 का 2.400 किमी	4.358 (0.0732 किमी लंबाई की संरचना को छोड़कर जो 4.432 किमी के ऐसे बाइपास के अंतर्गत आती है)	60. 255	

(नया)/ रारा- 54 (पुराना) के 62.400 किमी पर	(नया) रारा-54 का	56.900 किमी	58.किमी 600	1.56 (0.140 किमी लंबाई की संरचना	30. 260	
	लमर्डिंग (पुराना)/			लबाइ का सरचना को छोड़कर जो 1.700 किमी के ऐसे		
	रारा-27 (नया)			बाइपास के अंतर्गत आती है)		
	कुल		45. 6990			

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

	सारणी – 4		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई* (कि.मी. में) में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कामरूप जिले में मदनपुर गांव के निकट रारा -31 (एफपी-1) के 1104.624 (डिज़ाइन चेनेज) किमी पर	1.1720*	11.720	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार
कामरूप (म) जिले में नज़ीरखट गांव के निकट रारा -37 (एफपी-2) के 179.600 किमी पर	2.3571**	23.571	दरों का 100%
नगांव जिले (एफपी-3) में राहा (सारागांव) शहर के निकट रारा -27 (नया)/ रारा- 37 (पुराना) के 254.514 किमी पर	0.7132***	7.132	
होजाई जिले (एफपी-4) में मिकीरती होगांव गांव के निकट रारा -27 (नया)/ रारा- 36 (पुराना) के 33.625 किमी पर	0.1702****	1.702	
दीमा हसाओ जिले (एफपी-5) में मंदेरदिसा गांव के निकट रारा -27 (नया)/ रारा- 54 (पुराना) के 62.400 किमी पर	1.13****	11.3	
कुल लंबाई	<mark>5.5425</mark>	<mark>55.4250</mark>	

\* एफ़पी – 1 के अंतर्गत 60 मी से अधिक लंबाई वाली संरचना का ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम	<b>चै</b> नेज	(किमी में)	संरचना का प्रकार	लंबाई
सं .	किमी से	किमी तक		(किमी में)
1.	1059.7670	1059.8430	पुल	0.0760
2.	1066.2370	1066.3570	पुल	0.1200
3.	1068.2880	1068.3680	पुल	0.0800

4.	1082.7730	1083.0890	आरओबी	0.3160
5.	1083.6460	1083.7260	पुल	0.0800
6.	1092.3680	1092.4880	पुल	0.1200
7.	1113.3680	1113.7480	आरओबी	0.3800
				<mark>1.1720</mark>

## \*\* एफ़पी – के अंतर्गत 260 मी से अधिक लंबाई वाली संरचना का ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम	चैनेज (किमी में)		संरचना का प्रकार	लंबाई
सं .	किमी से	किमी तक		(किमी में)
1.	1121.851	1121.995	वायडक्ट	0.1440
2.	1121.9957	1123.4892	पुल	1.4935
3.	1123.489	1123.597	वायडक्ट	0.1080
4.	1124.6076	1124.8514	ग्रेड सेपरेटर	0.2438
5.	164.3420	164.4480	फ्लाईओवर	0.1060
6.	183.6031	183.7430	पुल	0.1399
7.	184.5041	184.6260	पुल	0.1219
				<mark>2.3571</mark>

\*\*\* एफ़पी – 3 के अंतर्गत 60 मी से अधिक लंबाई वाली संरचना का ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम	चैनेज (किम	ी में)	संरचना का प्रकार	सड़क की समकक्ष लम्बाई (किमी
सं .	किमी से	किमी तक		में) में परिवर्तित किए जाने हेतु
				संरचनाओं की लम्बाई
1.	216.377	216.466	बड़ा पुल	0.0890
2.	219.9748	220.0772	बड़ा पुल	0.1024
3.	231.0046	231.1474	बड़ा पुल	0.1428
4.	250.748	250.823	बड़ा पुल	0.0750
5.	252.77575	252.83825	बड़ा पुल	0.0625
6.	254.2859	254.3461	बड़ा पुल	0.0602
7.	261.97935	262.04065	बड़ा पुल	0.0613
8.	266.549	266.669	बड़ा पुल	0.1200
			कुल	0.7132

\*\*\*\* एफ़पी – 4 के अंतर्गत 60 मी से अधिक लंबाई वाली संरचना का ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम सं.	चैनेज (किमी में)		संरचना का प्रकार	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में) में परिवर्तित किए जाने
	किमी से	किमी तक		हेतु संरचनाओं की लम्बाई
1.	2.1015	2.1985	आरओबी	0.097
2.	1.9814	2.0546	बड़ा पुल	0.0732
			कुल	0.1702

क्रम ·	चैनेज (किमी में)		संरचना का प्रकार	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	
सं.	किमी से	किमी तक	-	में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई	
1.	44.875	45.075	बड़ा पुल	0.200	
2.	51.575	51.715	बड़ा पुल	0.140	
3.	57.33	57.47	बड़ा पुल	0.140	
4.	58.585	58.855	आरओबी	0.270	
5.	61.585	61.685	बड़ा पुल	0.100	
6.	69.485	69.765	बड़ा पुल	0.280	
			कुल	1.130	

\*\*\*\* एफ़पी – 5 के अंतर्गत 60 मी से अधिक लंबाई वाली संरचना का ब्योरा इस प्रकार है:

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00/-रूपए (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

	सारणी-5	
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं	मान्यता अवधि
	की अधिकतम संख्या	
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की	पचास	संदाय की तारीख से एक मास
राशि का दो-तिहाई		

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर

संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 5634.748 करोड़ रुपए है।

क्रम सं.	टोल प्लाज़ा के अंतर्गत पूंजीगत लागत	राशि
1	मदनपुर	1187.09
2	नज़ीरखट	1329.40
3	राहा	1245.88
4	मिकीरती होगांव	818.668
5	मंदेरदिसा	1053.71
	कुल	5634.748

पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जिरए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/19-20/नलबाड़ी-बिजनी-गुवाहाटी-नगांव-लंका-हथिखली] प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2020

**S.O.** 743(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the following stretches in the State of Assam to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority"):

Sl	Stretch	Section	Entrustment notification
No.			published vide
1	Km 146.000 to Km 156.500 of NH-	Guwahati Bypass section	S.O. 1192 (E) dated
	37		03.12.2001
2	Km 156.500 to km 164.395 <b>of NH-37</b>	Guwahati Bypass section	S.O. 196 (E) dated 06.03.2000
3	Km.164.395 to Km.274.000 of NH-37	Nagaon to Guwahati section	S.0 465 (E) dated 26.04.2002
		(including Guwahati Bypass)	
4	Km.963.000 to Km.1126.000 of NH-	Guwahati to Nalbari Bijni	S.0 465 (E) dated 26.04.2002
	31	section	
5	Km 0.000 to Km 38.000 of NH-36	Daboka to Nagaon	
6	Km 0.000 to Km 83.400 of NH-54	Silchar to Haflong to Lanka to	
		Daboka section	

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. No.2041 (E) dated 24th July,2015, the Central Government hereby levies the fee on the type of mechanical vehicles in column (1) at hundred percent of the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road length of 281.4345 km and for equivalent structure length (having more than 60 m length) of 55.425 km (having length of 5.5425 km), and at one hundred and fifty percent of the base rate for bypass having length of 45.699 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below four laning of Nalbari-Bijni - Guwahati – Nagaon-Lanka-Hatikhali Section from km 1040.300 to km 1124.514 on NH-31 (new NH-27), km 146.000 to km 205.000 km on NH-37 (new NH-27); km 205.000 to km 273.489 of NH-37 (new NH-27), km 0.321 to km 5.500 to km 37.894 of NH-36 (new NH-27), km 0.000 to km 83.400 of NH-54 (new NH-27) in the State of Assam on EPC Mode and authorize the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1					
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)				
(1)	(2)				
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65				
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05				
Bus or Truck (Two Axles)	2.20				
Three-axle commercial vehicles	2.40				
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45				
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20				

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza(s) for net road length specified for such fee plaza(s), namely: -

		Table-2		
S.No.	Location of Fee Plaza	Chainages of section	Road Length (in km) for	Rate at
	(chainage)		which Fee is payable	which fee
				is payable
1	At km 1104.624 (design	From Km.1040.300 to	76.7820 Km (Excluding	
	chainage) near village	Km. 1119.814 (Nalbari-	1.5600 Km. of Bypass &	
	Madanpur in Kamrup	Bijni to Guwahati) of NH-	1.1720 Km. length of	
	district of NH-31 (FP-1)	31	structure >60 m)	
2	At km 179.600 near village	From Km.1119.814 to Km.	43.4479 Km (Excluding	
	Nazirakhat in Kamrup (M)	1124.514 (Nalbari-Bijni to	17.895 Km. of Bypass &	
	district) of NH-37 (FP-2)	Guwahati) of NH-31 &	2.3571 Km. length of	
		Km.146.000 to	structure >60 m)	
		Km.205.000 (Guwahati to		100% for
		Nagaon section (including		four or
		Guwahati Bypass) of		more lanes
		NH-37		of the base
3	At Km 254.514 on NH-	From Km 205.00 to Km	57.1318 Km (Excluding	rates
	27(New)/NH-37(Old) near	273.489 of NH-37	10.644 Km. of Bypass &	mentioned
	town Raha (Saragaon) in		0.120 Km. length of	in Table-1

	dist Nagaon (FP-3)		structure >60 m on Bypass	above
			and 0.5932 Km. length of	
			structure >60 m on road	
			length	
4	At Km 33.625 on NH-	From Km 0.321 to Km	49.9628 Km (Excluding	
	27(New)/NH-36(Old) near	5.500 of NH-36 & Km	9.44 Km. of Bypass &	
	village Mikirati Hawgaon	5.500 to Km 37.894 of NH-	0.1702 Km. length of	
	in dist Hojai (FP-4)	36, Km 0.00 to 22.00 of	structure >60 m on Bypass.	
		NH-54		
5	At Km 62.400 on NH-	From Km 22.00 to Km	54.11 Km (Excluding 6.16	
	27(New)/NH-54(Old) near	83.400 of NH-54	Km. of Bypass & <b>0.140</b>	
	village Manderdisa in dist		Km. length of structure >60	
	Dima Hasao (FP-5)		m on Bypass and 0.99 Km.	
			length of structure >60 m	
			on road length	
	Grand Total		281.4345	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs.10 crore or more, at the following Fee Plaza, for the length of bypass specified for such Fee Plaza: -

	Table-3					
Location of Toll	Name of	Design Chair	nages	Length & Co	st of bypass for	Rate at
Plaza (chainage)	Bypass	Taking off at	Merging at	which additio	nal fee is payable	which fee is payble
				Length (in Km)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 1104.624 (design chainage) near village Madanpur in Kamrup district of NH-31 (FP-1)	Baihata	Km. 1099.254	Km. 1100.814	1.560	24.586	
At km 179.600 near village Nazirakhat in Kamrup (M) district) of NH- 37 (FP-2)	Guwahati	Km. 146.000	Km. 163.895	17.895	185.14	150% for four or more lanes of the base
At Km 254.514 on NH- 27(New)/NH- 37(Old) near town Raha ( Saragaon) in dist Nagaon (FP-3)	Nagaon of NH-37 (Old)/ NH-27 (New)	Km 262.725	Km 273.489	10.644 (excluding 0.120 Km length of structures falling in such bypass of 10.764 Km)	186.281 (For part of Nagaon Bypass i.e. under Raha Toll Plaza)	rates mentioned at Table-1 above
At Km 33.625 on NH-27 (New)/NH-36 (Old) near village Mikirati	Nagaon of NH-36 (Old)/ NH-27 (New)	Km 0.321	Km 5.500	5.082 (excluding 0.097 Km length of structures	89.627 (For part of Nagaon Bypass i.e. under Daboka Toll Plaza)	

Hawgaon in dist				falling in		
Hojai (FP-4)				such bypass		
				of 5.179		
				Km)		
				,		
	Daboka	Km 35.862	Km 37.894 of	4.358	60.255	
		of NH-36	36 (Old)/NH-	(excluding		
		(Old)/NH-	27 (New) and	0.0732 km		
		27 (New)	NH-	length of		
		and	Km.2.400 of	structures		
		Km.0.000	NH-54	falling in		
		of NH-54		such bypass		
				of 4.432		
				km)		
At Km 62.400 on	Lanka of	Km 22.337	Km 26.937	4.60	47.612	
NH-27	NH-54					
(New)/NH-54	(Old ) /					
(Old) near	NH-27					
village	(New)					
Manderdisa in	Lumding	Km.56.900	Km 58.600	1.56	30.260	
dist Dima Hasao	of NH-54			(excluding		
(FP-5)	(Old ) /			0.140 km		
	NH-27			length of		
	(New)			structures		
				falling in		
				such bypass		
				of 1.700		
				km)		
			Total	45.6990		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following fee plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

	Table-4		
Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 1104.624 (design ch.) near village Madanpur in Kamrup district of NH-31 (FP-1)	1.1720*	11.720	100% for four or more lanes of the base rates
At km 179.600 near village Nazirakhat in Kamrup (M) district) of NH-37 (FP-2)	2.3571**	23.571	mentioned in Table-1 above
At Km 254.514 on NH-27(New)/NH-37(Old) near town Raha ( Saragaon ) in dist Nagaon (FP-3)	0.7132***	7.132	
At Km 33.625 on NH-27(New)/NH-36(Old) near village Mikirati Hawgaon in dist Hojai (FP-4)	0.1702****	1.702	

At Km 62.400 on NH-27(New)/NH-54(Old) near village Manderdisa in dist Dima Hasao (FP-5)		11.5	
Total length	<b>5.5425</b>	<b>55.4250</b>	

<sup>\*</sup>Details of structure under FP-1 having length more than 60m is as under :

S. No.	Chainage (Km.)		Type of structure	Length (Km.)
	From	То	-	
1.	1059.7670	1059.8430	Bridge	0.0760
2.	1066.2370	1066.3570	Bridge	0.1200
3.	1068.2880	1068.3680	Bridge	0.0800
4.	1082.7730	1083.0890	ROB	0.3160
5.	1083.6460	1083.7260	Bridge	0.0800
6.	1092.3680	1092.4880	Bridge	0.1200
7.	1113.3680	1113.7480	ROB	0.3800
				1.1720

\*\*Details of structure under FP-2 having length more than 60m is as under:

S.	Chainage (Km.)		Type of structure	Length (Km.)
No.				
	From	To		
1.	1121.851	1121.995	Viaduct	0.1440
2.	1121.9957	1123.4892	Bridge	1.4935
3.	1123.489	1123.597	Viaduct	0.1080
4.	1124.6076	1124.8514	Grade separator	0.2438
5.	164.3420	164.4480	Flyover	0.1060
6.	183.6031	183.7430	Bridge	0.1399
7.	184.5041	184.6260	Bridge	0.1219
	<u>.</u>			2.3571

## \*\*\*Details of structure under FP-3 having length more than 60m is as under:

S. No.	Chainage (Km.)			Length of structures ( in
	Г		Type of structure	km) to be converted
	From	То	Type of structure	into equivalent road
				length
1.	216.377	216.466	Major Bridge	0.0890
2.	219.9748	220.0772	Major Bridge	0.1024
3.	231.0046	231.1474	Major Bridge	0.1428
4.	250.748	250.823	Major Bridge	0.0750
5.	252.77575	252.83825	Major Bridge	0.0625
6.	254.2859	254.3461	Major Bridge	0.0602
7.	261.97935	262.04065	Major Bridge	0.0613
8.	266.549	266.669	Major Bridge	0.1200
			Total	0.7132

## \*\*\*\*Details of structure under FP-4 having length more than 60m is as under :

S. No.	Chainage (Km.)			Length of structures ( in
	From	То	Type of structure	km) to be converted into equivalent road length
1.	2.1015	2.1985	ROB	0.097
2.	1.9814	2.0546	Major Bridge	0.0732
			Total	0.1702

****Details of structure under FP-5 havi	ing length more than 60m is as under:
--	---------------------------------------

S. No.	Chainage (Km.)			Length of structures ( in km ) to	
	From	То	Type of structure	be converted into equivalent road length	
1.	44.875	45.075	Major Bridge	0.200	
2.	51.575	51.715	Major Bridge	0.140	
3.	57.33	57.47	Major Bridge	0.140	
4.	58.585	58.855	ROB	0.270	
5.	61.585	61.685	Major Bridge	0.100	
6.	69.485	69.765	Major Bridge	0.280	
			Total	1.130	

- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.265 (Rupees Two Hundred and Sixty-five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
- 5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5			
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity	
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment	
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment	

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle, provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in Sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.
- 10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, in English and vernacular language.
- 11. The estimated capital cost of the project is Rupees 5634.748 Crore.

S.No	The capital cost under Toll Plaza	Amount	
1	Madanpur	1187.09	
2	Nazirakhat	1329.40	
3	Raha	1245.88	
4	Mikirati Hawgaon	818.668	
5	Manderdisa	1053.71	
	Total	5634.748	

The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/19-20/ Nalbari-Bijni - Guwahati - Nagaon - Lanka - Hatikhali] PRIYANK BHARTI, Jt. Seey.